



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-05 अक्टूबर, 2026

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-325/प.-2/22/1/4/2026-27, दिनांक-21.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹0-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
 8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
 9. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें व्याज अर्जित हो तो उक्त व्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
 11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2403007890400** गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना) **मानक मद 43** सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

पू0सं0-209/2026/2363(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(72)/03-102995, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-209/2026/2363/सैंतीस-2-2026/002-1(72)/03-102995, दिनांक-05 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2026-27) (धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति
1	मेरठ	7.5393
2	बागपत	4.0742
3	गाजियाबाद	1.7654
4	गौतमबुद्धनगर	3.2066
5	बुलन्दशहर	11.5214
6	हापुड़	2.6218
7	सहारनपुर	5.5096
8	मुजफ्फरनगर	5.5605
9	शामली	2.8032
10	मुरादाबाद	6.1491
11	अमरोहा	6.4886
12	रामपुर	3.8856
13	बिजनौर	7.5599
14	सम्भल	7.5659
15	बरेली	8.4883
16	बदायूं	12.3932
17	शाहजहांपुर	6.7150
18	पीलीभीत	2.8294
19	अयोध्या	4.2817
20	अम्बेडकर नगर	4.3572
21	सुल्तानपुर	5.2060
22	बाराबंकी	7.1111
23	अमेठी	4.5646
24	गोण्डा	7.8848
25	बलरामपुर	2.8677
26	बहराइच	5.4324
27	श्रावस्ती	2.6407

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

28	बस्ती	2.5990
29	संतकबीर नगर	0.6841
30	सिद्धार्थ नगर	0.1000
31	गोरखपुर	4.6967
32	महराजगंज	0.1000
33	देवरिया	3.4895
34	कुशीनगर	2.9613
35	प्रयागराज	11.5033
36	कौशाम्बी	3.7913
37	फतेहपुर	7.2246
38	प्रतापगढ़	6.5983
39	झांसी	5.3381
40	ललितपुर	5.1872
41	जालौन	4.5986
42	बांदा	0.1000
43	चित्रकूट	0.1000
44	हमीरपुर	1.6841
45	महोबा	0.1000
46	लखनऊ	4.2817
47	उन्नाव	7.3186
48	रायबरेली	6.7716
49	हरदोई	10.5585
50	सीतापुर	7.3375
51	खीरी	8.5575
52	आजमगढ़	7.5756
53	मऊ	1.2005
54	बलिया	5.5414
55	वाराणसी	5.0551
56	जौनपुर	11.3452
57	गाजीपुर	9.4695
58	चन्दौली	5.0174
59	मिर्जापुर	6.5076
60	सोनभद्र	2.8287
61	संतरविदास नगर	2.9047

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

62	कानपुर नगर	5.2815
63	कानपुर देहात	6.4421
64	फर्रुखाबाद	4.3384
65	इटावा	0.6952
66	कन्नौज	5.0362
67	औरैया	3.8101
68	आगरा	13.0460
69	मथुरा	6.5679
70	मैनपुरी	5.3946
71	फिरोजाबाद	6.5452
72	कासगंज	5.6588
73	एटा	6.3943
74	अलीगढ़	11.3932
75	हाथरस	5.2461
योग-		400.000

(रूपये चार करोड़ मात्र)

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।